

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)

NAAC A+Grade



Wbe: www.vbspu.ac.in

mail:connectpuregistrar@gmail.com

पत्रांक: 5741 / शैक्षणिक / 2024

दिनांक: 18/09/2024

सेवा में,

1. समस्त निदेशक / संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / समन्वयक,
वीर बाहदुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
2. समस्त प्राचार्य / प्रबन्धक, सम्बद्ध महाविद्यालय,
वीर बाहदुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

विषय: Curricular & Credit Freamework for Four Year Undergraduate Programmae (FYUP) शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1567/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 टी०सी० दिनांक 13.07.2021 के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों को चार वर्षीय डिग्री प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा माह दिसम्बर 2022 में Curricular & Credit Freamework for Four Year Undergraduate Programmae (FYUP) फ्रेमवर्क में जारी किया गया है। उक्त फ्रेमवर्क के अनुरूप VC's समिति के सुझाव पर शासन के पत्र संख्या 2090/सत्तर-3-2024-09 (01)/2023(L-4), दिनांक 02 सितम्बर, 2024 द्वारा प्रदेश के Curricular & Credit Freamework for Four Year Undergraduate Programmae (FYUP) तैयार नीति को सक्षम निकायों से अनुमोदित कराते हुए सत्र 2024-25 से लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त का विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 07.09.2024 में अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची संख्या-01 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.09.2024 के कार्यसूची संख्या-04 पर अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। अतः शासन के पत्र को संलग्न कर इस अनुरोध से प्रेषित कि शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से अच्छादित पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 से लागू किये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
4. प्रभारी वेबसाइट को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-3

संख्या-2090 / सत्तर-3-2024-09(01) / 2023(L4)
लखनऊ : दिनांक : 02 अगस्त, 2024

1. कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

02.08.24
86
1028

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी.सी. दिनांक 13.07.2021 के माध्यम से प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को चार वर्षीय डिग्री प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) द्वारा माह दिसम्बर, 2022 में Curricular & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) जारी किया गया है। यू०जी०सी० द्वारा जारी उक्त फ्रेमवर्क के अनुरूप VC's समिति के सुझाव पर प्रदेश की Curricular & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) नीति तैयार की गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहें तथा सक्षम निकायों/प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके शैक्षिक सत्र 2024-25 से लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

/
(एम०पी० अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 3- अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
- 4- प्रो० दिनेश चन्द्र शर्मा, कु० मायावती राजकीय महिला महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर।

नी 23/08/24

02/09/24

आज्ञा से,
(शिपू गिरि)
विशेष सचिव।

संलग्नक

स्नातक/चार वर्षीय स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की संरचना (Structure of UG, FYUP and PG Programmes)

1. संदर्भ (Introduction)-

यूजीसी द्वारा जारी किये गये Curriculum & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) में 20 Credit प्रति सेमेस्टर का प्रावधान है जबकि उत्तर प्रदेश में शासनादेश संख्या-1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011टी.सी., दिनांक 13 जुलाई, 2021 द्वारा लागू NEP-2020 की संरचना में Credits अधिक हैं। शिक्षकों एवं छात्रों की ओर से भी पिछले दो वर्षों में यह महसूस किया जा रहा है कि छात्रों पर Credits का भार ज्यादा है और उसे कुछ कम किया जा सकता है। अतः उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के वर्तमान UG-PG पाठ्यक्रम संरचना में UGC-FYUP के 20 क्रेडिट/सेमेस्टर के प्रावधान को अंगीकृत करते हुए संशोधित तालिकायें तथा उनका विस्तृत विवरण निम्नवत् है :-

2. क्षेत्र (Scope)-

- 2.1 (अ) यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी०ए०, बी०एससी० एवं बी०काम० तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम०ए०, एम०एससी०, एम०काम० कार्यक्रमों में लागू होगी।
(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी०एससी० (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।
- 2.2 (अ) त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू रहेंगे।
(ब) चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 2.3 (अ) बहुविषयक त्रिवर्षीय स्नातक, चार वर्षीय स्नातक (एग्नेंटिसिप एम्बेडिड), चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित), परास्नातक एवं प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क इत्यादि में विषयों तथा क्रेडिट्स की विस्तृत जानकारी तालिका-1 में दी गई है।
(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी०एससी० (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि के लिए व्यवस्था तालिका-2 में दी गई है।
- 2.4 यह सभी व्यवस्थाएँ सत्र 2024-25 से लागू होंगी।
- 2.5 अन्य संकायों अथवा कार्यक्रमों यथा-चिकित्सा, तकनीकी, शिक्षक शिक्षा, कृषि, विधि आदि में नियामक संस्थाओं के नियम लागू होते हैं, उन के लिए व्यवस्था का निर्धारण नियामक संस्थाओं यथा-एम०सी०आई०, ए०आई०सी०टी०आई०, एन०सी०टी०आई०, बी०सी०आई० आदि के एन०ई०पी०-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना आने पर किया जायेगा।

3. परिभाषाएं-

3.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)-

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री एवं स्नातक (एग्नेंटिसिप एम्बेडिड), पाँच वर्ष की

स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा-बी०ए०, बी०एससी०, बी०कॉम, बी०एड०, बी०बी०ए०, बी०एल०ई०, एम०ए०, एम०एससी०, एम०कॉम०, एल०एल०बी०, पीएच०डी० इत्यादि।

3.2 संकाय (Faculty)-

- 3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा-कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।
- 3.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या-1267/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक 15.06.2021 के अनुसार होगी।
- 3.2.3 उक्त शासनादेश में निर्धारित कतिपय संकायों को यू०जी०सी० के सुझाव के अनुसार और अधिक विभाजित किया जा रहा है। जैसे कि विज्ञान संकाय को गणितीय विज्ञान, जैविक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान संकाय इत्यादि तथा भाषा संकाय को भारतीय व विदेशी भाषा संकायों इत्यादि में। उक्त के लिए पृथक से शासनादेश जारी किया जायेगा।
- 3.2.4 कला एवं विज्ञान संकायों में विभाजन को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री क्रमशः कला संकाय (B.A.) एवं विज्ञान संकाय (B.Sc.) की ही मिलेगी। इसी प्रकार ग्रामीण विज्ञान जो कि कला संकाय से विभाजित हुआ है, में भी कला संकाय (B.A.) की डिग्री मिलेगी।
- 3.2.5 संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, वह यथावत् रहेगी। (शासनादेश संख्या-1276/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक 16-06-2021)

3.3 विषय (Subject)- यथा

- 3.3.1. संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।
- 3.3.2. एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

3.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-

- 3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्राॅक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।
- 3.4.2 थ्योरी, प्राॅक्टिकल और शोध परियोजना के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

4. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

- 4.1 प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिसशिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।
- 4.2 (अ) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों को चार वर्षीय स्नातक (FYUP) की मान्यता/सम्बद्धता नये कोर्स के रूप में नियमानुसार प्रदान कर सकते हैं।
(ब) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों के आवेदन करने पर तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय के नियमानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) में उच्चिकृत कर सकते हैं।
- 4.3 (अ) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित

विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्टम सेमेस्टर) तक कर सकता है। यदि वह किसी वर्ष/वर्षों में विषय परिवर्तित करता है तो उसे बिन्दु 8.8 के अनुसार डिग्री दी जायेगी।
(ब) चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रूप से पूर्व के तीन वर्षों/छः सेमेस्टर में किया है) का चयन करेगा तथा सप्तम व अष्टम सेमेस्टर्स में भी उसी विषय को पढ़ेगा।

(स) तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है (जिसमें Pre-requisite के अनुसार वह अर्ह है), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक/चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

(द) त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात चार वर्षीय डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

- 4.4 विद्यार्थी द्वारा तीसरे गौण (माइनर) विषय का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
- 4.5 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय परिवर्तित कर सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- 4.6 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- 4.7 तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisite का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स गौण (माइनर) विषय के रूप में दिया जा सकता है।
- 4.8 सभी विश्वविद्यालय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय/विषय के छात्रों के लिये माइनर इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलेक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद् इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलेक्टिव पेपर की कक्षाएँ विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगी तथा परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होगी।
- 4.9 विश्वविद्यालय माइनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकते हैं। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोर्सों की परीक्षा माइनर पेपर के साथ करावेंगे।
- 4.10 यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयम् (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये अधिकतम 12 क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिये अधिकतम 9 क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्ट्स इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी।

- 4.11 एन0सी0सी0 को शासनादेश संख्या-1815/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक 09.08.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार माइनर विषय के क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं।
- 5. कौशल विकास कोर्स (Vocational /Skill development Courses)**
- 5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (प्रथम तीन सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x3=9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।
- 5.2 उक्त कौशल विकास कोर्स पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1969/सत्तर-3-2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जाएंगे।
- 5.3 यदि विद्यार्थी यू0जी0सी0/PMKVY 4.0/केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन या उससे अधिक क्रेडिट का कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता है, तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिए जाएंगे। स्नातक के लिए कुल 9 क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है। विद्यार्थी अधिकतम 9 क्रेडिट (एक साथ/अलग-अलग) को कम अथवा अधिक समय में पूरे कर सकते हैं।
- 6. सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)**
- 6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात् कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।
- 6.2 इन सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों/कोर्सेज की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वहीं होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।
- 6.3 प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health), द्वितीय सेमेस्टर में मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment studies), तृतीय सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga) का अध्ययन किया जायेगा, जिनके पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हैं।
- 6.4 सभी विश्वविद्यालय चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय/स्थानीय भाषा तथा यू0जी0सी0 द्वारा बनाये गये "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement)" पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से चलायेंगे। भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रूप में लेने वाले विद्यार्थी "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम" का अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थी भारतीय/स्थानीय भाषा का अध्ययन करेंगे, जिसका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों द्वारा स्थानीय भाषा के दृष्टिगत तैयार किया जायेगा।
- 7. शोध परियोजना (Research Project)**
- 7.1 स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा। ग्रीष्मावकाश में पूर्ण न कर पाने की स्थिति में यह शोध परियोजना तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में भी की जा सकती है परन्तु उसे द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण तभी माना जायेगा जब उसके द्वारा उक्त शोध परियोजना पूर्ण कर ली जायेगी।
- 7.2 स्नातक चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में विद्यार्थी चार-चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होगी ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो

कोर्स के स्थान पर। स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।

7.3 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार-चार क्रेडिट्स की होगी।

7.4 पी.जी.डी.आर. में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री-पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेंगे। स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता परास्नातक पूर्ण किये बिना भी पी0एच0डी0 की प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।

7.5 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। सुपरवाइजर के रूप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध/शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।

7.6 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी/मल्टीडिस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

7.7 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के पश्चात की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.8 स्नातक (मानद शोध सहित)/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध-प्रबन्ध (Report/Dissertation) अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.9 पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी प्री-पी.एच.डी. कोर्स वर्क के पश्चात की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध-प्रबन्ध (Report/Dissertation) अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.10 बिन्दु 7.1 के अतिरिक्त उपरोक्त सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यांकन सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 (75 शोध प्रबंध +25 शोध पत्र) अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेन्ट प्रकाशन अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवायेगा। 25 अंक पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) पर ही देय होंगे। पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) न होने पर प्राप्तांक अधिकतम 75 अंक ही देय होंगे। पूर्णांक अधिकतम 100 ही होंगे। दो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/संगोष्ठी में पेपर प्रजेंट करने पर भी 25 अंक देय होंगे। पेटेन्ट/शोध पत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाइजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से कराने पर भी मान्य होगा।

7.11 स्नातक, स्नातक (मानद शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

8. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

8.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार

प्रेक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा, अर्थात् प्रैक्टिकल के दो घंटे का कार्य एक घंटे का वर्कलोड माना जायेगा।

- 8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" (ABC/ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश पृथक से समय-समय पर जारी किए जाते हैं।
- 8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) अथवा स्नातक (एग्नेन्टिसिप एम्बेडिड) डिग्री, न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 216 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी. आर. की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।

त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की 40 क्रेडिट की इंटर्नशिप NATS या समकक्ष/समतुल्य से कर सकता है। यह इंटर्नशिप विद्यार्थी 6 माह के दो अथवा 4 माह के तीन अथवा 3 माह के चार भागों में भी कर सकता है। यह इंटर्नशिप विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था/इन्डस्ट्री से की जायेगी। 40 क्रेडिट (1200 घण्टों) की इस इंटर्नशिप के पश्चात् विद्यार्थी को स्नातक (इंटर्नशिप/एग्नेन्टिसिप सहित) की उपाधि दी जायेगी।

- 8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा। यदि विद्यार्थी री-क्रेडिट (re-credit) नहीं करता है तो, नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80 (40+40) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 120 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकता है।
- 8.6 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर डिग्री दो वर्ष बाद ही मिल जायेगी। इसके लिये विश्वविद्यालय अपने सक्षम विधिक निकायों/समितियों के माध्यम से नियमों को अनुमोदित करायेंगे।
- 8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- 8.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।

जैसे यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात् 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजुकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्विजिट (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

8.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8.10 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 40 प्रतिशत तक (As per UGC/NEP guidelines) क्रेडिट आनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

9. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

9.1 क्रेडिट वैलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

9.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाएँ लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय-सारणी (Time table)

10.1 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय प्रवेश आरम्भ होने से पूर्व ही अपनी समय-सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे विद्यार्थी प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चयन कर सकें जिनकी कक्षाएँ अलग समय पर संचालित होती हों ताकि उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।

10.2 सभी शिक्षण संस्थान इस प्रकार से समय-सारणी (Time table) तैयार करें जिससे कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों के चयन के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सकें।

11. ग्रेडिंग प्रणाली

11.1 शासनादेश संख्या-1032/सत्तर-3-2022-08(35)/2020, दिनांक 20 अप्रैल, 2022 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली को संचालित किया जाय।

11.2 स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इसी प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली विकसित कर सकते हैं।

12 सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन

12.1 सतत आंतरिक मूल्यांकन का उद्देश्य केवल आंतरिक परीक्षा नहीं है, अपितु विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यांकन करना है। एन0ई0पी0-2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों का सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है, जिसे शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे।

12.2 मुख्य व माईनर विषयों के केवल थ्योरी पेपर्स में 25 अंक का सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) अनिवार्य होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंको की परीक्षा करायी जायेगी। प्रयोगात्मक, वोकेशनल/स्किल, को-करीकुलर तथा शोध परियोजना के कोर्सेज में सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) आवश्यक नहीं है तथा विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सेज की परीक्षा 100 अंको के आधार पर होगी। वोकेशनल/स्किल कोर्सेज का मूल्यांकन पूर्व की भाँति शासनादेश संख्या-1969/सत्तर-3-2021, दिनांक 18.08.2021 के अनुसार किया जायेगा।

12.3 सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी भी प्रकार की केन्द्रीयकृत/विश्वविद्यालय स्तरीय मिड टर्म परीक्षाएँ आयोजित नहीं की जायेंगी।

12.4 शासनादेश संख्या-2058/सत्तर-3-2021-08(33)/2020टी0सी0, दिनांक 26.08.2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) प्रोजेक्ट (Project), सेमिनार (Seminar), रोल प्ले (Role play), क्विज (Quiz), पजल (Puzzle), टेस्ट (Test), प्रैक्टिकल (Practical), सर्वे (Survey), बुक रिव्यू (Book review), स्टूडेंट पार्लियामेंट (Student parliament), स्क्रीनप्ले (Screenplay), निबन्ध (Essay), एक्सटेम्पोरे (Extempore), एक्जीबिशन (Exhibition), फेयर (

Fair), शैक्षणिक भ्रमण (Visit) आदि के द्वारा किया जा सकता है। सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक नीति निर्धारित करेंगे। 12.5 विद्यार्थी के सतत् आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रदान करने के लिये पाठ्येत्तर गतिविधियों (Extra-Curricular activities, Study tour, Sports, Outreach activity, Social Service etc) का उपयोग भी किया जा सकता है, जिसके लिये विस्तृत दिशा-निर्देश विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्तर से जारी किये जायेंगे।

Uttar Pradesh NEP-2020 UG-PG course structure aligned with FYUGP of UGC
Table 1: (To be in effect from 2024-25 Session)

Table 1: (To be in effect from 2024-25 onwards)

{Cumulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation/ Internship / Field or survey work	{Minimum Credits} For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1 (3)	1 (2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)			1 (2)	1 (3) Point 7.1	
{80+40=120} 3-year UG Degree	3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					40
		VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					
Fourth Year									
*Apprenticeship / Internship embedded UG degree programme	4		12 Months Apprenticeship/ Internship through NATS or from equivalent organization/ Industry/institute			1 (40) 1200 hours			40
OR									
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours)	4	VII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						40
		VIII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						
OR									
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours with Research)	4	VII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)		Students who secure 75% marks in the first 6 semesters			1 (4)	40
		VIII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
200 Master in	5	IX	Th-4(4) or Th-3(4)+					1 (4)	40

Faculty			Pract-1(4)						
		X	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
{2+6} PGDR in Subject	6	XI	Th-4(2)	1 (4) Research Methodology				1 (4)	16
Ph.D. in Subject	6,7,8	XII-XVI						Ph. D. Thesis	

*Apprenticeship/Internship embedded degree programme degree holder have to do 2 year PG programme. It is purely optional for Universities, to run and give this degree.

3 year Honors/Single subject programme structure
Table 2: (To be in effect from 2024-25 Session)

(Cumulative Minimum Credits) Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation / Internship/ Field or survey work	(Minimum Credits) For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
	Year	Sem.	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4/5 Credits	
			Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)			1 (3)	1 (2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)				1 (2)	1 (3) Point 7.1	
{80+40=120} 3-year Single Subject Plain UG Degree	3	V	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	40
		VI	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
					or				
{80+50=130} 3-year Single Subject Honours UG Degree		V	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	50
		VI	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	

- Single subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BHM, BSc (Chemistry), BSc, Chemistry (Honours), Etc.
- After both the above programmes (3 years plain or Honours degree), one has to pursue 4th/ 5th years of UG/ PG programmes as given in the Table 1, in the same manner as the one who completes, 3 years UG degree of Table 1.

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-1567/सत्तर-3-2021-16(28)/2011टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई, 2021

1. कुलसचिव
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू किए जाने हेतु जारी शासनादेश दिनांक 20.04.2021 के संदर्भ में प्राप्त पृच्छाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार त्रिवर्षीय स्नातक (तीन विषय विकल्प आधारित) स्तर के 62 पाठ्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं, जिन्हें ई-मेल द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया गया है तथा उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट (<http://uphed.gov.in/Council/NEETI2021.aspx>) पर अपलोड किया जा चुका है। स्नातक (शोध सहित) एवं परास्नातक विषयों के पाठ्यक्रमों की सूची एवं जानकारी कालान्तर में उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट में वर्णित विषयों के अतिरिक्त आपके विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कोई अन्य विषय संचालित है, तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए तीन विषय विशेषज्ञों के नाम गूगल लिंक (<https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9>) पर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय। यदि कोई विषय एक से अधिक विश्वविद्यालयों में चल रहा हो, तो वह भी सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के अनुरूप ही लागू होगा तथा उन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए 'विषय विशेषज्ञ समूह' गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में संचालित मुख्य विषय के किसी पेपर का इलेक्ट्रिक पेपर के रूप में अन्य पाठ्यक्रम (सिलेबस) का सुझाव विषय विशेषज्ञों से आमंत्रित है वे अपने सुझाव गूगल लिंक (<https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9>) पर दे सकते हैं।

2- शासनादेश संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 दिनांक 20-04-2021 के तारतम्य में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं "च्चाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में प्राप्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है:-

1. न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus)

- 1.1 विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत समान रखेंगे। उदाहरण के लिये यदि किसी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो विश्वविद्यालय उनमें से कम से कम 70 टॉपिक रखेंगे तथा उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 या कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप रख सकते हैं।
- 1.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं; उस पेपर में सम्मिलित टॉपिक्स हेतु कितने-कितने क्रेडिट (व्याख्यानों की संख्या) रखे जाएंगे, यह विश्वविद्यालय तय करेगा।
- 1.3 सूच्य है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में संचालित तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अधिकांश विषयों के कन्टेन्ट में 70-80 प्रतिशत तक टॉपिक तीन वर्ष में समान हैं तथा तीन वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में पढाये जा रहे हैं।

2 क्षेत्र (Scope)-

- 2.1 यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.) एवं तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.) के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।
- 2.2 विधि (बी०ए०-एल०एल०बी०, बी०एस०सी-एल०एल०बी०, एल०एल०बी०, एल०एल०एम०, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी०एड, एम०एड, बी०पी०एड, एम०पी०एड, इत्यादि) के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन०ई०पी-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

3 परिभाषाएं-

3.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)-

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा-बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०कॉम, बी०एड०, बी०बी०ए०, बी०एल०ई०, एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०कॉम, एल०एल०बी०, पी०एच०डी० इत्यादि।

3.2 संकाय (Faculty)-

- 3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।
- 3.2.2 विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।
- 3.2.3 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 दिनांक 15-06-2021 के अनुसार होगी। भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.) की मिलेगी।

3.3 विषय (Subject)-यथा

- 3.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।
- 3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

3.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)- यथा

- 3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रेक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।
- 3.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

4. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी

सभी विश्वविद्यालय स्वयं तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कालेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :-

- 4.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी०ए०, बी०एस०सी० आदि) व बी०कॉम० में सी०बी०सी०एस० आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगा।
- 4.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी०बी०सी०एस० आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होगा।
- 4.3 बी०ए०/बी०एस०सी० ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी०बी०सी०एस० आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होगा।
- 4.4 पी०एच०डी० कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022-23 से लागू होगी।

5. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

- 5.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।
- 5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।
- 5.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- 5.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- 5.5 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।
- 5.6 माइनर इलेक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty) से लेना होगा। इसके लिये किसी भी pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।
- 5.7 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- 5.8 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो।
- 5.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।
- 5.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पाँचवें एवं छठवें वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।
- 5.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
- 5.12 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षाएँ फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।
- 5.13 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिये माइनर इलेक्टिव पेपर (4 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलेक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलेक्टिव पेपर की कक्षाएँ विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगी एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होगी।

6. कौशल विकास कोर्स (Vocational/ Skill development Courses)

- 6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x4=12 क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

7. सह-विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses)

- 7.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छ: सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा।
- 7.2 इन छ: सह-विषयों के पाठ्यक्रम उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- 7.3 हर सह-विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

8. शोध परियोजना (Research Project)

- 8.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद् शोध परियोजना करनी होगी। पी.जी.डी.आर. में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री-पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।
- 8.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/ सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- 8.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को-सुपरवाइजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- 8.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।
- 8.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 8.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

9. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- 9.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
- 9.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।
- 9.3 क्रेडिट सम्बंधित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।
- 9.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट

अर्जित करने पर चतुर्वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

- 9.5 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा।
- 9.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- 9.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।
- 9.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात् 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्विजिट (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।
- 9.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

10. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

- 10.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- 10.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 10.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाएँ लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय-सारणी (Time table)

- 11.1 विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरूप एक माह के भीतर तैयार करना सुनिश्चित करे जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का समयान्तर्गत सत्र 2021-22 से क्रियान्वयन किया जा सके।
- 11.2 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करे कि सभी शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय-सारणी (Time table) तैयार कर ले, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य

संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएँ अलग समय पर संचालित होती हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो ।

11.3 सभी शिक्षण संस्थान समय-सारणी (Time table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों ।

3- विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि कृपया शासनादेश सं० 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 से "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को लागू करना सुनिश्चित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक क्रेडिट ट्रांसफर सम्भव हो सके।
संलग्नक-यथोक्त।

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1567 (1)/सत्तर-3-2021, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।